थाना विजयनगर पुलिस द्वारा एक शातिर अपराधी मय एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार:- थाना विजयनगर पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 24.10.2020 को चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी सरवन कुमार को थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक नाजायज देशी तमंचा 315 बोर मय मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त एक ओला कार में बैठ कर जा रहा था चैकिंग के दौरान अभियुक्त को कार से निचे उतारकर कर चैक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना। अभियुक्त ओला कार को लूट की फिराक में था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- सरवन कुमार S/O नन्हे सिंह R/O बडा कोट शिव मन्दिर के पास जहांगीराबाद चुंगी थाना शिकारपुर बुलन्दशहर
- *पंजीकृत अभियोगो का विवरण*
- 1- मु.अ.स.1381/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजय नगर गाजियाबाद
- *बरामदगी का विवरण*
- 1- एक नाजायज देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को टैम्पू चोरी करते समय गिरफ्तार किया गया:- थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 24/10/2020 को चेकिंग के दौरान एक शातिर टैम्पू चोर मनीष को न्यू शान्ति नगर में टैम्पू चोरी करते समय गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीकै

अभि0 द्वारा NCR क्षेत्र में घूम घूम कर सड़क पर खड़े टैम्पूओं को मौका पाकर रात्रि में चोरी कर लेना। तथा अपने आर्थिक लाभ हेतु ओने फोने दामों में चोरी के टैम्पूओं को कबाड़ियों को बेच देना।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणों का नाम व पता

1- मनीष पुत्र ब्रहम सिंह नि0 एसएसडी पब्लिक स्कूल के पास सर्वोदय नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

1. टैम्पू नं0 UP 14 CT 9220

गिरफतार अभि0गण का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स0 1380/20 धारा 379/411 भादवि



04 नफर अभियुक्त गण (नशीला पदार्थ) मय 560GM अल्प्राजोलम पाऊंडर मय सफारी गांडी UK 07AQ 2800 मय 6950 रुपये नगदी के साथ गिरफ्तार:- थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंव के दौरान अभियुक्त गण 1.शीशपाल पुतर सतपाल निवासी चढांव थाना काधला जिला शामली ,2. रामफल पुत्र प्रीतम सिंह निवासी घसौली थाना काधला जिला शामली 3. सतपाल पुत्र स्व0 रतना निवासी घसौली जिला शामली 4. भोला पुत्र धारा निवासी घसौली थाना काधला जिला शामली को मय सफारी गांडी न0 UK 07AQ 2800 एंव 560GM अल्प्राजोलम पाऊंडर 6950 रुपये नगदी के समय -23.45 बजे स्थान – सिखैडा कट से गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में क्रमश थाना मोदीनगर पर मु0अ0स0 902/20 से 905/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-

- 1.शीशपाल पुतर सतपाल निवासी चढांव थाना काधला जिला शामली,
- 2.रामफल पुत्र प्रीतम सिंह निवासी घसौली थाना काधला जिला शामली,
- 3.सतपाल पुत्र स्व0 रतना निवासी घसौली जिला शामली,
- 4. भोला पुत्र धारा निवासी घसौली थाना काधला जिला शामली

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 902/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम शीशपाल उपरोक्त थाना मोदीनगर गाबाद।
- 2.मु0अ0स0 903/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम रामपाल उपरोक्त थाना मोदीनगर गा0बाद।
- 3.मु0अ0स0 904/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम सतपाल उपरोक्त थाना मोदीनगर गा0बाद।
- 4.मु0अ0स0 905/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम भोला उपरोक्त थाना मोदीनगर गा0बाद।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.बनाम -शीशपाल,-80 GM एल्प्रोजोलम पाउडर -5000 रुपये नगदी मय (चालक) सफारी गाडी न0 UK 07AQ 2800
- 2.बनाम -रामफल -150 GM एल्प्रोजोलम पाउडर -250 रुपये नगदी
- 3.बनाम -सतपाल -180 GM एल्प्रोजोलम पाउडर -1000 रुपये नगदी
- 4. बनाम -भोला -150GM एल्प्रोजोलम पाउडर -700 रुपये नगदी



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार तथा 48 पौव्वे देशी शराव हरियाणा मार्का नाजायाज बरामद:- थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.20 को नवादा कट से समय 22.55 वजे अभियुक्त फरमान पुत्र इकरामुद्दीन निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद को 48 पौआ देशी शराव हरियाणा मार्का नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

पुंछतांछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछतांछ करने पर वताया कि हरियाणा प्रदेश से अवैध शराव की तस्करी करके यहां लाकर मंहगे दामों पर वेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1. फरमान पुत्र इकरामुद्दीन निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद मु0अ0सं0 638/20 धारा 60/63 आवकारी अधिनियम थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

बरामदगी का विवरण - 48 पौआ देशी शराव हरियाणा मार्का नाजायज ।



45 पव्वा अवैध शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार: धाना निवाड़ी पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2020 को समय करीब 17:45 बजे असदपुर नागल पुलिया से ग्राम कुम्हेडा की ओर नहर पटरी पर अभियुक्त 1— सिंचन पुत्र किशनचन्द निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को एक प्लास्टिक के कट्टे में 45 पव्वे मिस इण्डिया देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु030सं0—308/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अपराध करने का तरीका:—

अभियुक्त अन्य प्रदेशों की अवैध शराब कम कीमत पर लाकर अधिक दाम में बेचकर धन अर्जित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1—सचिन पुत्र किशनचन्द निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद बरामदगी का विवरण:—
- 1—एक प्लास्टिक के कट्टे में 45 पव्वे मिस इण्डिया देशी शराब पंजीकृत अभियोगों का विवरणः—
 - 1—मु0अ0सं0—308/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना निवाडी गाजियाबाद



95 पव्या अवैध शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार: थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2020 को समय करीब 22:45 बजे अबूपुर गेट के पास एन0एच0 58 से अभियुक्त 1—कमलेश उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी नगला तुर्किया मक्खनपुर थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद को एक प्लास्टिक के कट्टे में 96 पव्ये रॉयल सीकेट व्हिस्की के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0—311/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त अन्य प्रदेशों की अवैध शराब कम कीमत पर लाकर अधिक दाम में बेचकर धन अर्जित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियक्तगण-

1—कमलेश उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी नगला तुर्किया मक्खनपुर थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1—एक प्लास्टिक के कट्टे में 96 पव्वे रॉयल सीकेट व्हिस्की पंजीकृत अभियोगों का विवरण:—

1-मु0अ0सं0-311/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना निवाडी गाजियाबाद



95 पव्वा अवैध शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार: धाना निवाड़ी पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2020 को समय करीब 22:45 बजे अबूपुर गेट के पास एन0एच0 58 से अभियुक्त 1—धर्मेन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र सर्वेश कुमार निवासी नगला बलुआ पोस्ट कटैना हर्षा तहसील शिकोहाबाद थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को एक प्लास्टिक के कट्टे में 96 पव्वे रॉयल सीकेट व्हिस्की के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0—310/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त अन्य प्रदेशों की अवैध शराब कम कीमत पर लाकर अधिक दाम में बेचकर धन अर्जित करता है। नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1—धर्मेन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र सर्वेश कुमार निवासी नगला बलुआ पोस्ट कटैना हर्षा तहसील शिकोहाबाद थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1—एक प्लास्टिक के कट्टे में 96 पव्वे रॉयल सीकेट व्हिस्की पंजीकृत अभियोगों का विवरण:—

1-मु0अ0सं0-310/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना निवाडी गाजियाबाद



थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद।

दिनांक 23.10.2020 को श्री रोशन पुत्र जनेश्वर सिंह नि0 म0न0 एफ 80 गली न0 6 पप्पू कालोनी भाालीमार गार्डन साहिबाबाद व रोशन क दोस्त निक्की पुत्र अनिल चौधरी नि0 श्रीराम चौक पप्पू कालोनी दोनो श्रीराम चौक पप्पू कालोनी पर खंडे थे वही पर पवन बिहारी नि0 गली न01 पप्पू कालोनी व तुशार नि0 गली न0 6 पप्पू कालोनी खंडे थे ।रोशन व निक्की तथा पवन व तुशार का कपडे पहनने के ऊपर मजाक चल रहा था मजाक मजाक मे निक्की और पवन के बीच में गाली गलौच होने लगी तब रोशन व तुशार ने बीच बचाव करा दिया था उसके बाद रोशन और निक्की मो0सा0 से घर का समान लेने जा रहे थे गली न0 2 पप्प कालानी के पास फरदीन पुत्र भााहिद नि0 गली न02 पप्पू कालोनी ने रोक लिया फरदीन के साथ पवन और तुशार भी थे और साथ में 10—12 लंडक थे जिन्होंने एक राय होकर रोशन व निक्की के ऊपर हमला कर दिया। जिसके सबंध मे वादी श्री रोशन पुत्र जनेश्वर सिंह नि0 म0न0 एफ 80 गली न0 6 पप्पू कालोनी भाालीमार गांडन साहिबाबाद की तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर मु०अ०स० 1266 / 2020 धारा 147/323/307/336 भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट का अभियोग अभि०गण 1. पवन पुत्र रामविलास नि0 ए 6 गली न0 1 पप्पू कालोनी 2. फरदीन 3.वाहिद पुत्रगण भाहिद नि० गली न02 पर्पू कालोनी साहिबाबाद गाजियाबाद ४. साजिद पुत्र जाहिद नि0 अज्ञात 5. तुशार 6. मेंज्जू चौधरी व 15-20 अज्ञात लोगो के विरूद्धे अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के दौरान मारपीट व पत्थर बाजी की घटना घटित हुई घटना की संवेदनशीलता को दृश्टिगत रखते हुए अभियोग मे नामित अभि0गण एवं अज्ञात अभि0गण की जानकारी एवं गिरफतारी हेतु तत्त्वकाल टीमों का गठन किया

गया, जिसके परिणामस्वरूप घटना में नामजद अभियुक्त 1.मज्जू पुत्र बाबू खां नि0 बी 107 गली न02 पप्पू कालोनी 2. पवन पुत्र रामविलास नि0 ए 6 गली न0 1 पप्पू कालोनी को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर निम्नलिखित अभियुक्तों के नाम प्रकाश आये :—

- हुमाँयू पुत्र लल्लन बेग निवासी ए 68 गली न01 पप्पू कालोनी भाालीमार गार्डन
- 2. जुबैर पुत्र अख्त्यार बेग निवासी म0न0ं ए 20 गली नं0 1 पप्पू कालोनी भाालीमार गार्डन
- 3. दिलशाद उर्फ दिल्लू पुत्र भाराफत निवासी ए—42 गली नं0 01 पप्पू कालोनी भाालीमार गार्डन
- 4. आदिल पुत्र भाराफत अली निवासी ए—172 गली नं0 01 पप्पू कालोनी भारलीमार गार्डन

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1 पवन पुत्र रामविलास नि0 ए 6 गली न0 1 पप्पू कालोनी
- 2. मज्जू पुत्र बाबू खां नि0 बी 107 गली न02 पप्पू कालोनी
- 3. हुमॉयू पुत्र लल्लन बेग निवासी ए 68 गली न01 पप्पू कालोनी भाालीमार गार्डन
- 4. जुबैर पुत्र अख्त्यार बेग निवासी म0न0ं ए 20 गली नं0 1 पप्पू कालोनी भाालीमार गार्डन
- 5. दिलशाद उर्फ दिल्लू पुत्र भाराफत निवासी ए—42 गली नं0 01 पप्पू कालोनी भाालीमार गार्डन
- 6. आदिल पुत्र भाराफत अली निवासी ए—172 गली नं0 01 पप्पू कालोनी भाालीमार गार्डन

पजीकृत अभियोगो का विवरणः—

1. मु0अ0स0 1266 / 2020 धार 147 / 323 / 307 / 336 भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट थाना साहिबाबाद।



<u>एक नफर शातिर अभियुक्त एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज सहित गिरफ्तार</u>

कार्यवाही -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहें आप्रेशन ABC के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय श्री नीरज कुमार जादौन के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री महिपाल सिंह के पर्यवेक्षण में दि0 23.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 श्री राजेश बाबू व उनकी टीम द्वारा ABC स्कीम के तहत इन्द्रगढ़ी बैरियर पर 1 नफर अभियुक्त आदित्य उर्फ कलुआ पुत्र जयप्रकाश नि0 फतवा कालोनी इन्द्रगढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद को एक अदद तमचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका — अभियुक्त आदित्य उर्फ कलुआ पुत्र जयप्रकाश नि० फतवा कालोनी इन्द्रगढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद को एक अदद तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर सिहत दिनांक 23.10.2020 को समय करीब 23.30 बजे इन्द्रगढ़ी बैरियर से गिरफ्तार किया गया। । जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ०सं० 570/20 धारा 3/25 ए.एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

(1) आदित्य उर्फ कलुआ पुत्र जयप्रकाश नि० फतवा कालोनी इन्द्रगढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

(1) एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1. म्0अ0स0 570/2020 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त आदित्य उर्फ कलुआ उपरोक्त-

- 1. मु030सं0523/19 धारा 406,411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- **2.** मु0अ0सं0 524/19 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 3. मु0अ0स0 570/2020 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद



(फर्जी नाम बदलकर ड्राईवर की नौकरी प्राप्त कर कंटेनर को मय लोडेड माल के गायब करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से कंटेनर मय लोडेड माल सहित बरामद, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है)

कार्यवाही:- दिनांक 13.10.2020 को वादी संजीव कुमार पुत्र रोहताश सिंह (प्रोपराईटर रोयल सर्विस लोजिस्टिक्स) नि0 बी- 552 पटेल नगर मेरठ रोड गाजियाबाद ने थाने पर सूचना दी कि पैरिफैरल वे पुल के नीचे से उसका कंटेनर ड्राइवर, कंटेनर व माल (480 कारटून पटेटो चिप्स) सिहत गायब है, जबिक कंटेनर को काशीपुर से फरीदाबाद जाना था, जिसके सम्बंध में थाना मुरादनगर पर मु030सं0 745/20 धारा 406 भादिव पंजीकृत कराया गया। उक्त सम्बंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक <mark>थाना मुरादनगर</mark> के नेतृत्व मे टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा कठिन परिश्रम करके घटना का खुलासा किया गया, खुलासे के आधार पर दिनांक 23.10.2020 को कंटेनर को लोडेड माल सिहत गायब करने वाले अभियुक्त सरोज पुत्र सूरज नि0 ग्राम शहबाजपुर थाना पचदेवरा जिला हरदोई को दुहाई पैरिफैरल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कैन्टर न0 UK06CA7821 मय 430 कारटून पटेटो चिप्स बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सरोज पुत्र सूरज नि0 ग्राम शहबाजपुर थाना पचदेवरा जिला हरदोई

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मेरा असली नाम सरोज पुत्र सूरज नि0 ग्राम शहबाजपुर थाना पचदेवरा जिला हरदोई है। मैंने मनोज से उसकी नौकरी लगवाने के नाम पर ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति ली थी उसके आधार पर मैंने मनोज के नाम से उससे लिये गये ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति को प्रयोग करके ही मैने ट्रांसपोर्ट कं0 ROYAL SERVICE LOGISTICS के मालिक के यहां ड्राइवर की नौकरी 03 दिन पूर्व प्राप्त की थी तथा अपना ओरिजनल ड्राईविंग लाइसेंस बाद में देने को कहा था। कम्पनी वालो ने इसको गौर से नहीं देखा। यह काम मैने बदिनयती से ही किया था। मुझे पैसों की आवश्यकता थी तो मैंने कैन्टर व उसमें लोडेड माल को पहले अपने घर हरदोई ले गया व ले जाकर हर एक जगह छुपाकर कर खड़ा कर दिया था। आज मै इसें बेचने ही जा रहा था तो आप पुलिसवालों ने पकड़ लिया अगर मै पकड़ा नहीं जाता तो मै यह माल आज कहीं बेच देता।

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद कन्टेनर न0 UK06CA7821 मय 430 कारटून पटेटो चिप्स

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त -</u>

1. मु0अ0सं0 745/20 धारा 406,419,420,411 भादवि थाना मुरादनगर, गाजियाबाद



एनसीआर क्षेत्र में अवैध असलाह लेकर घूमने वाले एक अभियुक्त को एक अदद नाजायज तमन्या .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार:- थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभि0 को एक अदद तमन्या नाजायाज .315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा .315 बोर के साथ अशोक विहार चैक पोस्ट के पास चौकी क्षेत्र अशोक बिहार से दिनांक 24.10.2020 समय 01.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं डराने धमकाने के लिए यह तमन्चा व कारतूस अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी आपने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त का जुर्म धारा 3/25 आयुध अधि0 की हद को पहुंचता है।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY)-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं लोगों को डराने धमकाने के लिए अपने साथ यह तमन्चा व कारतूस रखता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभि0-

सोनू पुत्र अहमद हसन नि0 नियर चैक पोस्ट वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0सं0-894/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद बरामदगी का विवरण:-

एक अदद तमन्चा नाजायज .315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर



थाना लोनी क्षेत्र में सट्टे की खाईबाड़ी करने वाला अभियुक्त नकद 510 रूपये, 01 पाकेट डायरी सहित गिरफ्तार

<mark>थान</mark>

लोनी पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करने वाला अभियुक्त खालिद पुत्र शहीद निवासी मनव्वर मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद को मुनव्वर मस्जिद के पास मुस्तफाबाद हल्का चौकी कस्बा से समय 11.25 बजे दिनांक 24.10.2020 को नकद 510 रुपये, 01 पाकेट डायरी सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY)-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं सट्टे की खाई बाडी करके अपना खर्चा चलाता हूँ। नाम पता गिरफ्तार अभि0गण -

खालिद पुत्र शहीद निवासी मनव्वर मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद

अभि0गणों के विरुद्ध अभियोग का विवरण:-

म्0अ0सं0-895/2020 धारा 13 जी एक्ट थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरणः-

नकद 510 रुपये, 01 पाकेट डायरी



चैकिंग अभियान के दौरान 01 अभि0 को अवैध शराब 48 पट्वे हरियाणा मार्का सहित किया गिरफ्तार चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा अभि0 सौदान पुत्र जानकी प्रसाद निवासी गली नं 3 तीस फुटा रोड आश्रम नन्दग्राम थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबद को अम्बेडकर कालिज की दीवार के पास से 48 पव्वे CRAZY ROMEO देशी शराब हरियाणा मार्का सहित समय 22.05 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनाँक 23/10/20 को आबकारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार मय हमाराही HC अल्लारख्खा सै0 6 सिहानी गेट गा0बाद के चौकी क्षेत्र नन्दग्राममें मामूर थे मुखबिर की सूचना पर आश्रम रोड अम्बेडकर स्कुल के पास नन्दग्राम में बैठकर शराब बेच रहे अभि0 सौदान पुत्र जानकी प्रसाद निवासी गली नं 3 तीस फुटा रोड आश्रम नन्दग्राम थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबद को पकड़ लिया पकड़े जाने पर तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में पकड़े प्लास्टिक बैग से 48 पव्वा CRAZY ROMEO देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं शराब को गैर प्रान्त से लाकर क्षेत्र में विक्रय करने के लिये लाया था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

सौदान पुत्र जानकी प्रसाद निवासी गली नं 3 तीस फुटा रोड आश्रम नन्दग्राम थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबद

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 1690/20 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

बरामदगी

48 पव्वे CRAZY ROMEO देशी शराब हरियाणा मार्का

